पत्रांक– वाई.ई.ए. / सम्पत्ति / 2021 / 1410
दिनांक: 05.07.2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 70वी बोर्ड बैठक की मद संख्या–13 में कोविड महामारी के दृष्टिगत प्राधिकरण की कतिपय सम्पत्तियो की लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु निःशुल्क समय विस्तरण कराने के संबन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव सम्यक विचारोपरान्त कोविड की स्थिति के दृष्टिगत समस्त आवासीय भूखण्ड योजनाओं मे लीज डीड निष्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 30.06.2021 तक के निःशुल्क समय विस्तरण की कार्योत्तर स्वीकृति सहित प्राधिकरण की समस्त आवासीय भवन, समस्त आवासीय भूखण्ड, औद्योगिक एवं संस्थागत भूखण्डों की योजनाओं के ऐसे आवंटियों जिन्हें प्राधिकरण द्वारा पूर्व में चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है, को लीज डीड निष्पादन कराये जाने हेतु दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक का निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया जाता है।

उक्त के साथ हीं समस्त आवासीय भूखण्ड योजनाओं में ऐसे आवंटी जिनको पूर्व में चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है को दिनांक 30.09.2021 तक लीज डीड निष्पादन हेतु (बिना विलम्ब शुल्क) निःशुल्क समय विस्तरण हेतु जारी कार्यालय आदेश वाई.ई.आई.डी.ए. / आर.आर.पी.एस. / सम्पत्ति / 2421 / 2021 दिनांक–02.06.2021 को निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(मोनिका रानी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर.) महोदय यमुना एक्सप्रेसवे ओद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.बी. / एम / एस.जी.) यमुना एक्सप्रेसवे ओद्योगिक विकास प्राधिकरण के सूचनार्थ।
4. सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) / प्रबन्धक (सम्पत्ति) के अनुपालनार्थ।
5. विधि अधिकारी के सूचनार्थ।
6. प्रबन्धक सिस्टम को बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. प्रबन्धक मार्केटिंग को उक्त कार्यालय ज्ञाप को एक अग्रेजी एवं एक हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्रो में प्रकाशित कराये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी